1143/2018 जोतसिंह V/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
18/11/2019	वकील प्रार्थी उप. । सरकारी पैरोकार उप.। प्रार्थना पत्र मे वकील प्रार्थी व सरकारी पैरोकार को सुना गया। प्रकरण संक्षेप मे इस प्रकार है कि मौजा सरहद ग्राम दादाई पटवार हल्का दादाई तहसील देसूरी मे स्थित आराजी कृषि भूमि पुराने ख.नं. 49मी, 259, 260 जिसके नये ख न. 117 रकबा 1.4200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा न. 120 रकबा 0.8600 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 137 रकबा 1.4800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 670 रकबा 0.1900 हैक्टर किस्म बंजर, खसरा नम्बर 682 रकबा 0.3800 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल, खसरा नम्बर 683 रकबा 0.7700 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल कुल खसरा नम्बर -6 कुल रकबा 5.100 हैक्टर लगान रूपये 128.00 बने। प्रमाण स्वरूप पुरानी जमाबन्दी 2030-33 एवं 2034-2037 व वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2073-2076 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है। यह है कि पुराने खसरा नम्बर 49मी. की जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 मे प्रार्थी का नाम पुराने राजस्व रिकोर्ड मे आम बोलाचाल की भाषा मे जोतीया पुत्र वेना दर्ज था उसके बाद जब पुराने खसरा नम्बर 49मी. [illegible] 260 की जमाबन्दी संवत् 203[illegible] [illegible] उसमे प्रार्थी का नाम जोतीया के बजाय [illegible]लींग दर्ज कर दिया गया। जब भू. प्रबन्ध की कार्यवाही अमल मे आई व पुराने खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

— लगातार —

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested

मुन. 1143/2018 जोतासिंह V/s सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
मे उपरोक्तानुसार बने तथा जमाबन्दी संवत 2045 से 2048 मे प्रार्थी का नाम जोतसिंग की जगह जोबतासिंह S/o वेना दर्ज किया गया जो आज दिन तक जितनी भी जमाबन्दीया बनी उसमे प्रार्थी का नाम जोबत सिंह दर्ज हैं जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज मे जोतासिंह पुत्र वेनासिंह दर्ज हैं। सेटलमेन्ट के समय लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी का जोतसिंह के बजाय जोबतासिंह दर्ज करने से प्रार्थी अपने जायज एवं विधिक हक अधिकारो से वंचित हो रहा है। अतः प्रार्थी का नाम पुराने इन्द्राज के अनुरूप जोबतसिंह के बजाय जोतीया किया जाकर सम्माजनक नाम जोतसिंह दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत हैं।	
प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार देसूरी को तलब किया गया सरकारी पैरोकार तहसीलदार देसूरी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि संवत 2030 से 2033 की जमाबन्दी मे खाता संख्या 74 मे खसरा नं. 49 20बीघा 5 बिस्वा दर्ज हैं। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 मे खसरा [illegible] 260 व 49 की रकबा 27 बीघा [illegible] पुरोहित दर्ज हैं। संवत 2045 से 2048 मे जोबतसिंह S/o वेना पुरोहित दर्ज हैं। जिसमे खसरा नम्बर 642, 643, 117, 120 व 137 दर्ज हैं। संवत 2034 से 2037	

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

— लगातार —

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested

मु.न. 1143/2018 जोतसिंह V/s सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	तक बनने वाली जमाबन्दी मे जोतिया के बजाय जावतिग दर्ज हुआ जो गलत दर्ज हुआ था। यह लिपिकिय त्रुटि के कारण गलत दर्ज हुआ। संलग्न रिकार्ड के अनुसार नाम दुरस्ती जावतसिंह पुत्र वेनसिंह की बजाय जोतसिंह पुत्र वेनसिंह की जाने की अनुशंसा की जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी व सरकारी पैरोकार को सुना गया। प्रकरण मे मामला नाम शुद्धि का है। जिसकी दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जमाबन्दी संवत 2030 से 2033 मे खाता सं. 75 मे खसरा न 49 में प्रार्थी का नाम जोतीया पुत्र वेना दर्ज था। इसके बाद पुराने खसरा नम्बर 49 की 259 व 260 की जमाबन्दी संवत 2034 से 2037 मे प्रार्थी का नाम जोतीया की जगह जावतीग दर्ज हुआ। संवत 2045 से 2048 मे खसरा नम्बर 642, 643, 117, 120 व 137 मे जावतीग पुत्र वेनाजी की जगह जोवतसिंह पु० वेना पुरोहित दर्ज हुआ। जो लगातार [illegible] सिंह पु० वेना चला आ रहा है [illegible] लिपिकीय त्रुटि है जिस [illegible] का नाम जोतिया सम्मान जनक नाम जोतसिंह होने की बजाय जोवत सिंह दर्ज हुआ। जो कि तमाम दस्तावेजो से स्पष्ट होता है। अत: प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता	

— लगातार —

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर (एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested

1143/2018

मु.न. जोतसिंह वि. सरकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
है। तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी जोतसिंह पुत्र बैनसिंह के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे जॉवतासिंह की जगह जोतसिंह किया जावे तथा सम्मान जनक नाम जोतसिंह कर राजस्व रिकार्ड दुरस्त किया जावे। निर्णय आज दिनांक 18/11/2019 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.01.18 18:04:16 IST
Reason: SelfAttested